ालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

ं0 तारीख दायरा

/ 2012 10.10.2012 तारीख फैसला

ीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.) 29/01/2026

उनवान

नन्दकिशोर आत्मज पन्नालाल जाति मीणा नि0 बल्लभपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

राजाराम आत्मज पन्नालाल जाति मीणा नि0 बल्लभपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा
दी स्टेट ओफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

ी की ओर से – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट
पक्षीगण की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का दावा माननीय न्यायालय में पेश कर या है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है।

2 यह कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी तथा उनके पिता पन्नालाल आत्मज खेमा के शामलाती ाते में अन्य भूमियों के साथ ग्राम बल्लभपुरा तहसील दीगोद में खाता नं0 22 पर खसरा . 32 की 4–51 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 061 पेश है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिसंसा, प्रतिपक्षी नं० 1 का 1/3 स्सा तथा प्रार्थी के पिता पन्ना लाल जी का 1/3 हिस्सा दर्ज था। जिसमें से प्रार्थी ने पने 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान जगदीश व सावित्री को बेचान कर दिया जो खसरा म्बर 32/1 की 1–45 हेक्टर भूमि कम की जाकर खरीदार के खाते दर्ज करदी गयी।

4–यह कि प्रार्थी द्वारा 1/3 हिस्से की भूमि प्रार्थी द्वारा बेचान किये जाने के बाद ष ख0न0 32 की 3–06 हेक्टर भूमि में प्रार्थी के पिता पन्ना लाल जी का 1/2 व तिपक्षी नं० 1 का 1/2 हिस्सा रहा।

5– यह कि प्रार्थी के पिता पन्ना लाल व प्रतिपक्षी नं० 1 के खाते में ख० न० 32 ी 3–06 हेक्टर भूमि शेष रही। श्प्रार्थी के पिता पन्नालाल जी मृत्यु हो गयी और पन्ना ाल जी के 1/2 हिस्से में प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं० 1 तथा मृतक की पुत्रिया व पुत्र बाबू ाल के नाम दर्ज जिसमें से पुत्र बाबूलाल व सभी पुत्रियों ने अपना हिस्सा प्रार्थी व तिपक्षी नं० 1 के हक में हक त्याग कर दिया था इस कारण प्रार्थी का पन्ना लाल जी के /2 हिस्से में 1/2 यानी सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा बनता है। किन्तु प्रतिपक्षी नं0 1 ने क्त सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवाली।

6–यह कि खातेदार पक्षकारान मीणा जाति के है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार
नियम लागू नहीं है इस कारण उक्त भूमि में मीणा जाति की विवाहित महिलाओं को
अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण पुत्रियों ने अपना हिस्सा प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं० 1
क छोड दिया है।

7– यह कि पन्ना लाल जी की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी नं0 2 के कर्मचारियों ने
रा नम्बर 32 की 3–06 हेक्टर भूमि प्रार्थी व प्रतिपक्षीनं० 1 के खाते दर्ज करना चाहिये
किन्तु ऐसा न कर केवल मात्र प्रतिपक्षी नं० 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया जो
था गलत है।

8–यह कि वास्तविक रूप से पन्नालाल जी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का उक्त
मे में 1/2 हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिपक्षी नं० 1 का 1/2 व स्वंय का
/2 यानी 3/4 हिस्सा है। प्रार्थी ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि में सोयाबीन की फसल
रखी है जो खेत में खडी हुई है।

9– यह कि प्रार्थी अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त अपने पिता की
त्यु के बाद से चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थी 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार कृ
क घोषित होने का अधिकारी है तथा इसी अनुसार विभाजन करने का अधिकारी है।

10. यह कि उपरोक्त गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिपक्षी नं० 1 के मन में
बदनियती आ गयी है और प्रतिपक्षी नं० 1 बदनियती पूर्वक प्रार्थी के 1/4 हिस्से के कब्जे
काश्त में व्यवधान पैदा करने करने का प्रयास किया। इस पर दिनांक 3–10–2012 को
प्रार्थी ने प्रतिपक्षी नं० 1 से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज कराने हेतु व प्रार्थी को
1/4 हिस्से पर काश्त करने में बाधा पैदा न करने हेतु कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 नाराज हो
गया और गलत इन्द्राज के आधार पर भूमि को खुर्द बुर्द व रहन, बेचान करने व प्रार्थी के
कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने की एंव प्रार्थी की सोयाबीन की फसल को काट लेने
की धमकी दी। यदि प्रतिपक्षी नं० 1 को उक्त कृत्य करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी अपने
अधिकारों से वंचित हो जावेगा व पुश्तैनी भूमि प्राप्त करने से हमेशा के लिये हाथ धोना
पडेगा व प्रार्थी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा।

11. यह कि प्रार्थी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथ सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के
पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफेसला दावा प्रार्थी के पक्ष में
प्रतिपक्षीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षी
गण ग्राम ग्राम बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नं. 32 की 3.06
हैक्टर भूमि को अथवा उसके किसी हिस्से की भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द रहन,
बेचान नही करे ओर न उपरोक्त भूमि अन्य तरीके से हस्तान्तरित करे और प्रार्थी को 1/4
हिस्से की भूमि को काश्तकरने से नहीं रोके ओर न कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे।
उक्त कृत्य न तो स्वंय करे और न अपने प्रतिनिधि द्वारा करावे।

प्रार्थीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये है –

1. नकल जमाबन्दी ग्राम बल्लभपुरा सम्वत 2066–2069, खाता सं0 नया 57
2. नकल विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2003
3. नकल नामान्तरण न0 116 ग्राम बल्लभपुरा

4. नकल जमाबंदी ग्राम बल्लभपुरा संवत 2058–61
5. नकल जमाबंदी ग्राम बल्लभपुरा संवत 2062–2065
6. नकल रिलीजडीड 19.05.2007

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी की तलबी विधिवत करवायी गई। क्षी की ओर श्री प्रमोद कुमार चौधरी एडवोकेट द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया गया क्षी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल मिसल । गया। प्रार्थी द्वारा जवाब उल जवाब पेश नहीं किये जाने पर पर्याप्त समय दिया र जवाब उल जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। पक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि:–

यह कि प्रार्थी ने सर्वथा असत्य व झूठे तथ्यों व कथनों के आधार पर वाद व प्रार्थना पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थी को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है इस कारण प्रार्थी व प्रार्थना पत्र वाद खारिज होने योग्य है ।

– यह कि खसरा नम्बर 32 की भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। इस ारण प्रार्थी को वाद लाने व पेश करने का अधिकार न होने से प्रार्थी का वाद व प्रार्थना त्र चलने योग्य नहीं है तथा खारिज होने योग्य है।

– यह कि पक्षकारान के शामलाती खाते में ग्राम बल्लभपुरा में अन्य भूमियां भी स्थित चली आ रही है जिसके विभाजन का दावा प्रार्थी नन्द किशौर ने नन्द किशोर बनाम राजाराम के उनवान से प्रस्तुत किया हुआ हे। उस दावे में खसरा नम्बर 32 को शामिल नहीं किया गया है। इससे भी यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 32 में प्रार्थी का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

5– यह कि वास्तविक स्थिती इस प्रकार है कि ग्राम बल्लभपुरा तहसील दीगोद में खाता नं0 22 पर खसरा नं. 32 की 4–51 हेक्टर भूमि के साथ कुल 10 किता की 12–37 हेक्टर भूमि प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं० 1 तथा पन्नालाल आत्मज खेमा के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी। जिसमें पन्ना लाल जी का 1/2 हिस्सा व प्रार्थीव प्रतिपक्षी नं० 1 का 1/2 हिस्सा था। पन्ना लालजी की मृत्यु के बाद जरिये नामान्तकरण सं० 87 दिनांक 6–10–2001 को पन्ना लाल जी के स्थान पर उनके वारिसान प्रार्थी, प्रतिपक्षी नं0 1. रामनारायण, बाबूलाल पुत्र, प्रेम बाई, ललता बाई पुत्रियां व रामकंवरी बेवा का नाम दर्ज किया गया।

6– यह कि प्रार्थी ने उक्त भूमियों में से खसरा नम्बर 32 की 4–51 हेक्टर भूमि में अपने (1/4 व 1/14 कुल 9/28 हिस्सा) की भूमि का बेचान जगदीश व सावित्री बाई को दिनांक 5–6–2003 को कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं० 116 तस्दीक किया जाकर प्रार्थी के 9/28 हिस्से पर जगदीश व सावित्री बाई का नाम दर्ज हो गया। व प्रार्थी का नाम हटा दिया गया।

ह कि इस प्रकार उक्त भूमि में प्रतिपक्षी नं० 1 का (1/4 व 1/14 हिस्सा) कुल
3 हिस्सा, व रामनारायण, बाबूलाल पुत्र, प्रेम बाई, ललता बाई पुत्रिया व रामकंवरी बेवा
0/28 हिस्सा व जगदीश व सावित्री का 9/28 हिस्सा रहा जो राजस्व ' रिकार्ड में
हुआ।

यह कि बाद में खसरा नम्बर 32 के विभाजन का दावा पेश हुआ जिसमें अदालत की
नल डिक्री के आधार पर जरिये नामान्तरकरण सं0 128 दिनांक 17–10–05 से उक्त
का विभाजन होकर खसरा नम्बर 32 की 3–06 हेक्टर भूमि प्रार्थी व रामनारायण,
लाल पुत्र, प्रेम बाई, ललता बाई पुत्रियां व रामकंवरी बेवा के नाम दर्ज की गयी व
/1 की 1–45 हेक्टर भूमि जो प्रार्थी द्वारा9/28 हिस्से की भूमि बेचान की वह जगदीश
सावित्री के अलग खाते दर्ज हुई।

यह कि इसके पश्चात् सहखातेदार रामनारायण, बाबूलाल, प्रेम बाई, ललता बाई द्वारा
सरा नम्बर 32 की 3–06 हेक्टर भूमि में निहित हिस्सा प्रतिपक्षी नं० 1 भ्राता के पक्ष में
क त्याग कर दिया और हक त्याग पत्र का पंजीयन दिनांक 19–5–2007 सब रजिस्ट्रार
ागोद द्वारा किया गया। इसी दौरान राम कंवरी की मृत्यु हो गयी इस कारण जरिये
ामान्तरकरण सं० 155 दिनांक 20–7–07 से सहखातेदार रामनारायण, बाबूलाल, प्रेम बाई.
ललता बाई व राम कंवरी बाई का नाम खारिज करते हुये खसरा नम्बर 32 की 3–06
हेक्टर भूमि प्रतिपक्षी नं० 1 के नाम दर्ज की गयी।

10– यह कि इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हिस्सा नहीं है तथा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिपक्षी नं01 एक मात्र खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा भूमि बेचान कर दिये जाने के बाद से किसी भी भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं रहा है और न है। इस कारण प्रार्थी किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा व विभाजन तथा इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नहीं है। ओर न अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ।

11– यह कि खसरा नम्बर 32 की 3–06 हेक्टर भूमि का प्रतिपक्षी नं० 1 एक मात्र खातेदार है व काबिज काश्तकार है। किन्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र की आड में प्रतिपक्षी नं0 1 के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा रहता है। जिसका कि प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है फिर भी प्रार्थी दिनांक 15–5–13 को प्रतिपक्षी नं० 1 के खाते व कब्जे काश्त की ख0न0 32 की 3–06 हेक्टर भूमि पर आया ओर प्रतिपक्षी नं० 1 को धमकी दी कि वह काश्त करके रहेगा व प्रतिपक्षी नं० 1 को काश्त नहीं करने देगा अथवा प्रतिपक्षी नं0 1 ने काश्त की तो वह फसल काट करले जावेगा। यदि प्रार्थी को उक्त अवैध कत्य करने से नहीं रोका गया तो इसे प्रतिपक्षी नं० 1 को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व काउन्टर क्लेम पेश करना व्यर्थ हो जावेगा। इस कारण प्रतिपक्षी नं० 1 के लिये माननीय न्यायालय में धारा 212 आर०टी०ए० के तहत काउन्टर क्लेम पेश करना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रतिपक्षी नं० 1 का केस प्राइमाफेसी केस है सुविधा का सन्तुलन भी प्रतिपक्षी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है ।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिपक्षी नं० 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया कर प्रतिपक्षी नं० 1 के पक्ष में प्रार्थी के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की त की जावे कि प्रार्थी प्रतिपक्षी नं० 1 को उसके खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर की 3–06 हेक्टर भूमि से बेदखल नहीं करे प्रतिपक्षी नं0 1 के कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं करे ओर न प्रतिपक्षी नं० 1 की फसल काट करले जावे। उक्त कृत्य न तो स्वंय ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और त्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस ष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है।

इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के ावधानानुसार किसी भी न्यायिक प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है।
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है।

प्रथम दृष्ट्या मामला – किसी न्यायिक राजस्व प्रकरण को देखते ही अर्थात (पहली नजर में) यदि ऐसा प्रतीत हो कि प्रार्थी भी विवादित आराजी में संभावित हकदार हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण को देखने पर हम पाते है कि पूर्व में विवादित आराजी में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण दोनों के नाम दर्ज थे और प्रार्थी विवादित आराजी में सभावित हकदार हो सकता है। अतः प्रकरण को प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जा सकता है।

सुविधा का सन्तुलन – किसी विवादित आराजी पर कब्जा होने के आधार पर सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में कहा जा सकता है। वैसे भी काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अनुसार कब्जे के अभाव में, जब तक विवादित आराजी स्वयं की संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज नहीं हो तो उस आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी में से प्रार्थी चाहे गये हिस्से पर काबिज काश्त है। इस कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षति होना – किसी विवादित आराजी पर किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं किये जाने अन्य पक्ष द्वारा उस आराजी को खुर्द बुर्द कर देने की संभावना होने तथा इस प्रकार खुर्द बुर्द किये जाने से होने वाली क्षति की पूर्ति होना संभव नहीं हो तो इसे प्रार्थी की अपूरणीय क्षति कहा जायेगा। प्रकरण में विवादिज आराजी में प्रार्थी का संभावित हकदार होना नकारा नहीं जा सकता एसी स्थिति में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाया जाता है तो प्रतिपक्षी प्रार्थी के संभावित हिस्से को खुर्द बुर्द कर सकता। अतः प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार यह प्रार्थी का
दृष्ट्या मामला होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा प्रार्थी को
य क्षति होने की संभावना के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
र कर ताफेसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस
की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षी गण ग्राम ग्राम बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला
की विवादित आराजी खसरा नं. 32 की 3.06 हैक्टर भूमि के 1/4 हिस्से को अथवा
किसी हिस्से की भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द रहन, बेचान नही करे ओर न
क्त भूमि अन्य तरीके से हस्तान्तरित करे और प्रार्थी को 1/4 हिस्से की भूमि को
तकरने से नहीं रोके ओर न कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद